अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 21.03.2018 जो राजस्व अपील संख्या 35/2016 अनवान संतोष उर्फ धनू वगैरा बनाम मोहन वगैरा में श्री जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा नामांतकरण संख्या 65 ग्राम पूंजला को निरस्त करके तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया गया ।

यह है कि संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पूंजला के भूमि ख.न. 196,199,200/1,200/2,200/3,201,204,205,205/1,206 कुल रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा को अपीलार्थीगण तथा उनके पिता स्व. रतनाराम ने दिनांक 19.08.1950 को जरिये पंजीबद्व के इसके 1/3 हिस्से के खातेदार किरपा,बुद्वा,मंगला,छैला, प्रताप,रूपा के बेटा पौत्रा मोटा से सामलात में खरी दकर कब्जा प्राप्त किया । जिसका म्यूटेशन मिसल न. 21/55 दिनांक 23.07.1955 को गलती से अकेले स्व. रतना के नाम दर्ज कर दिया, इसके बाद रतना का देहांत हो गया तब नामांतकरण संख्या 65 अपीलार्थी मोहन मुकना गोरधन हरिसिंह के नाम मृतक रतना के सामलात में खरीददार होने तथा सम्पति कोपार्सनरी की होने से कोपार्सनर के नाम दर्ज किया गया तथा नामांतकरण संख्या 65 बाद जांच दर्ज किया गया जिसकी पुख्ता जानकारी संतोष उर्फ धनू सुशीला उर्फ हरप्यारी को शुरूसे है तथा उपरोक्त भूमि मे 1/12 हिस्सा पैतृक खातेदारी का होने से अपीलार्थीगण के नाम बाद जांच नामांतकरण दर्ज करने का तहसीलदार जोधपुर का पुख्ता आदेश तथा भूअभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट है। जिस को रेस्पोडेन्ट ने कतई चेलेंज नही किया है। केवल मात्र नामांतकरण को चेलेंज किया है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश अपास्त होने के योग्य है।

यह है कि नामांतकरण संख्या 65 भरा गया, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को पुख्ता रही है, वासिान की जांच कर आदेश पारित किया है, बाद आदेश नामांतकरण गांव में मजमे आम मे भरा गया है जिसकी विधिवत जानकारी व ज्ञान स्व रतना के सभी वारीसान को रही है। फिर भी जानबुझकर 44 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की म्याद को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में अनदेखी करते हुए धारा 5 का प्रार्थना पत्र व अपील का निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि विधि का सुस्थापित नियम व सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति को प्रकरण की पुख्ता जानकारी होने के म्याद के भीतर कार्यवाही करनी चाहिए, रेस्पोडेन्ट को लगातार इसकी जानकारी रही है। लेकिन अब वर्तमान में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच में आपसी पारिवारीक कारणो को

लेकर अनबन हो जाने की वजह से वर्णित खातेदारी जमीन के नामांतकरण को चेलेंज करने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है, इसकी बाबत अधीनस्थ न्यायालय में पुख्ता साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायायलय ने अनेदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपीलाधीन नामंतकरण में वर्णित भूमि स्व रतना व रतना के लडके अचलू, मोहन, मूकना, व गोरधनराम ने सामलात में जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के दिनांक 19.08.1950 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया । उक्त भूमि कोपार्सनरी खरीद सम्पति है। जिसमें रतना की लडकियो का कोई हक हिस्सा नही बनता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी प्रथम अपीला में उपरोक्त खरीद दस्तावेज को छुपाकर प्रथम अपील प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी पंजीबद्व दस्तावेज की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो अपास्त व रदद किये जाने के योग्य है।

यह है कि अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 से व्यथित होकर यह अपील निम्न अन्य आधारो पर प्रस्तुत है।

यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 पुख्ता साक्ष्य सबूतो की अनदेखी कर वर्तमान अपीलार्थीगण के अधीकारो की अनदेखी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया होने से अपास्त व निरस्त किये जाने के योग्य है।

यह है कि प्रथम अपीलीया न्यायालय की पत्रावली पर यह तथ्य उपलब्ध है। कि स्व रतना पुत्र गुणेश के देहांत होने परउनके जायदा वारिसान की जांच गांव में मजमेआम में पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर पुख्तासबूत के बाद विधिवत नामंतकरण पारित किया गया हैं। जिसका इंद्राज नामांतकरण सख्या 65 पर दर्ज विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्य सबूतो की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किये जाने के योग्य है।

यह है कि रतना का देहांत वर्ष1972 मे आज से लगभग 46 वर्षो से भी अधिकसमय तथा अपीलार्थीगण विविादित खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त मकानात कुण्ड पशुओ के बाडा वगैरा बनाकर काबिज है। तथा परिवार सहित खातेदारी जमीन पर निवास करते हैं जिसकी प्रत्यर्थीगण को भलीभांती जानकारी हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 को अपीलाधीन नामांतकरण की पुख्ता जानकारी पिता के देहांत के समय से ही रही है। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 ने गलत तथ्य अंकित करते हुए 13 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद के बिन्दू को अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो अपास्त किये जाने के योग्य है। तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपील म्याद बाहर से अपील सूने जाने योग्य नही होने के बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में हुए विलम्बको क्षमा करते हुए अपील म्याद सुमार माने जाने का निर्णय पारित किया है। जो विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि रतना जी का स्वर्गवास वर्ष 1972 मे एवं उसके बाद उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ था स्व रतना जी के देहांत के बाद खातेदारी भूमि का अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकृत किया जिस पर

भी प्रत्यर्थीगण ने कोई आपति तथा उसके बाद रतना जी की धर्मपत्नी का भी देहांत हुआ तब भी अपने नाम से नामांतकरण करवाने के लिए प्रत्यर्थीगण ने कोई कार्यवाही नही की तथा उक्त नामांतकरण पारित होने के 44 वर्ष बाद प्रथम अपील पेश की गई जो पूर्णतया विधिबाधित होने से निरस्त होने के योग्य है। तथा इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 व अपीलार्थीगण के आपस में छोटी बडी बात को लेकर मनमुटाव होने व वेमनस्य भाव,ईष्याभाव को लेकर प्रथम अपील पेश की है जो म्याद बाहर होने से निरस्त योग्य है। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद में छूट प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान किया जो विधिसम्मत नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अधीनस्थ न्यायलय के सम्मुख अपील के साथ जो मयाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने फौतेदगी म्यूटेशन की कब जानकारी हुई इसका कोई विवरण अंकित नही किया जबकि म्याद के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को जानकारी होने के तथ्य एवं उसके सबूत प्रस्तुत करने आवश्यक है। तथा प्रत्येक दिन की देरी क्यो व कैसे हुई इसका पुख्ता सबूत के साथ विस्तृत विवरण होना आवश्यक होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र से यह कतई साबित नही होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 की अपील अन्दर म्याद है। इसप्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायलय ने महत्वपूर्ण तथ्यो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

यह है कि अपीलार्थीगण व स्व रतना कोपार्सनर द्वार कोपार्सनर सम्पति से भूमि का हिस्सा खरीद किया गया है। जिसमें एक कोपार्सनर के देहांत के बाद उसका हिस्सा शेष कोपार्सनर को प्राप्त हो जाता है जिसमें प्रत्यर्थीगण को कोई हक हिस्सा नही बनता है अपीलाधीन नामांतरकरण को उक्त खरीद वाले हिस्से को गलत रदद किया गया हैइसकारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने के योग्य है।

यह है कि पैतृक खातेदारी हिस्से में अपीलार्थीगण को उनके पिता रतना के जीवनकाल में तथाा जन्म से पिता के बराबर हिस्सा प्राप्त हो गया है तथा पैतृक हिस्से में मृतक रतना का मृत्यु के समया मात्र 1/5 हिस्सा खातेदारी में था तथा उक्त 1/5 हिस्से में मृतक रतना के सभी वारिसान का बराबर हिस्सा बनता है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यो की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपील अन्दर म्याद पेश है।

यह है कि अन्य कारण अपील की बहस के समय मान्यवर न्यायालय की स्वीकृति से निवेदन किये जायेगे

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान जिला कलक्टर जोधपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा नामान्तरकरण संख्या 65 ग्राम पूंजला को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें ।अन्य

उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्यायहित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीगण के पक्ष में हो